फ़ाइल संख्या-15011/36/2022-न्याय/ई 6889
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग

विषय: न्याय विभाग से संबंधित जुलाई, 2023 माह का मासिक सार

न्याय विभाग से संबंधित जुलाई, 2023 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:

1. चिंतन शिविर

न्याय विभाग द्वारा 1-2 जुलाई, 2023 को माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की उपस्थिति में गरवी गुजरात भवन, नई दिल्ली में 'चिंतन शिविर' का आयोजन किया गया था। चिंतन निम्नलिखित तीन मुद्दों पर आयोजित किया गया जो इस प्रकार हैं; (i) अदालती मामलों के लंबित होने की चुनौतियाँ और समस्या से निपटने की रणनीतियाँ, (ii) न्याय तक आसान पहुंच और कानूनी जागरूकता और प्रस्तावित समाधान प्रदान करने की चुनौतियाँ, और (iii) कुशल, सुलभ और किफायती न्याय प्रदायगी प्रणाली की दिशा में एक उपकरण के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना । शिविर का प्रथम दिन सचिव (न्याय) द्वारा समय पर और आसान न्याय के महत्व और इसकी उपलब्धता को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने में विभाग की भूमिका पर जोर देकर कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के साथ आयोजित किया गया था। एमटीएस स्तर से लेकर संयुक्त सचिव तक के अधिकारियों को तीन समूहों में बांटा गया था और प्रत्येक समूह को सदस्यों के बीच विचारों के स्वतंत्र और निर्बाध आदान-प्रदान के माध्यम से गहन विचार-विमर्श और विश्लेषण के लिए उपर्युक्त में से एक-एक मुद्दा सौंपा गया था और फिर न्याय विभाग के उक्त उप-क्षेत्र के सुधार के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक सिफारिशें ली गईं। । चिंतन शिविर के दूसरे दिन समूहों ने अपनी विचार प्रस्तुत किए और माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के साथ विचारों का स्पष्ट आदान-प्रदान हुआ। बाद में ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक संगठन के वक्ताओं ने जीवन के लक्ष्यों और लक्ष्योको प्राप्त करने के लिए आवश्यक टीम वर्क, समन्वय, केंद्रित दृष्टिकोण और आत्म-विश्लेषण पर एक प्रेरक भाषण और प्रस्तुति दी। माननीय मंत्री महोदय द्वारा 3 समूहों की पहल को स्वीकार किया गया। समयबद्ध तरीके से आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए समूहों की सिफारिशों को संकलित किया गया है और न्याय विभाग के सभी संबंधित प्रभागों को परिचालित किया गया है।

2. ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना चरण-II :

(क) **एनजेडीजी**: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर, दिनांक 03.07.2023 तक, 23.34 करोड़ से अधिक मामलों और कम्प्यूटरीकृत अदालतों से संबंधित 22.21 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(ख) **वर्चुअल कोर्ट:** 22 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 3.26 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया गया है और दिनांक 30.06.2023 तक 39 लाख से अधिक मामलों में 419.89 करोड़ रुपये से अधिक का ऑनलाइन जुर्माना वसूल किया गया है।

(ग) **जस्टिस ऐप**: न्यायिक अधिकारियों के लिए मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की संख्या 30 जून, 2023 तक कुल 19,164 हो गई है।

(घ) **ई-कोर्ट सेवा मोबाइल ऐप**: ई-कोर्ट सेवा मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की संख्या दिनांक 30.06.2023 तक कुल 1.88 करोड़ तक पहुंच गई है।

(ङ) **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग**: दिनांक 30.06.2023 तक,वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा (लगभग1.98 करोड़), और उच्च न्यायालयों द्वारा (लगभग 78.69 लाख) अर्थात कुल 2.77 करोड़ मामलों की सुनवाई की गई।(च) **ई-सेवा केंद्र**: दिनांक 30.06.2023 तक, 25 उच्च न्यायालयों के तहत 819 ई-सेवा केंद्रों को कार्यात्मक बना दिया गया है।

3. **<u>टेली-लॉ: वंचितों तक पहुंच</u>** (क) 31 जुलाई 2023 तक 47,52,106 लाख लाभार्थियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई । (ख) माह के दौरान, वीएलई/पीएल, राज्य समन्वयकों और पैनल वकीलों द्वारा 17 राज्यों के 72 जिलों में आयोजित 187 जागरूकता सत्रों/शिविरों में 4149 व्यक्तियों ने भाग लिया। (ग) वीएलई, पैनल वकील, राज्य समन्वयक जैसे टेली-लॉ क्षेत्र के पदाधिकारियों के अनुभवों को साझा करने के लिए टेली-लॉ कार्यक्रम के सेल्फी ड्राइव अभियान के तहत 31 जुलाई, 2023 तक 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 183 सेल्फी/वीडियो टेली लॉ सोशल मीडिया साइटों (फेसबुक और ट्विटर) पर अपलोड किए गए थे।

4. **<u>न्याय बंधु (प्रो-बोनो लीगल सर्विसेज) कार्यक्रम :</u>**माह के दौरान, 67 नए प्रो बोनो अधिवक्ताओं ने न्याय बंधु पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराया। बंधु मोबाइल एप्लिकेशन/वेब पोर्टल के तहत कुल 10298 वकील (पुरुष-8636, महिला-1660, ट्रांसजेंडर-02) पंजीकृत किए गए हैं।

5. **<u>कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी):</u>**

(क) कानूनी जागरूकता वेबिनार श्रृंखला के हिस्से के रूप में न्याय विभाग ने 18 जुलाई, 2023 को 'एसिड पीड़ितों के पुनर्वास' विषय पर 18वें वेबिनार का आयोजन किया और इस वेबिनार में 15,127 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया । गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, द लक्ष्मी फाउंडेशन और ब्रेव सोल्स फाउंडेशन के प्रख्यात वक्ताओं ने वेबिनार में अपने इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए।

(ख) नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु, कर्नाटक ने 03 जुलाई 2023 को द्वितीय प्रोफेसर वीएस मल्लार मेमोरियल कानूनी सहायता प्रतियोगिता, 2023 के तहत पहली कानूनी सहायता निर्वाचिका सभा आयोजित की। इस निर्वाचिका सभा में में 48 पंजीकृत दलों के सदस्यों ने भाग लिया। एनएलएसआईयू ने 14 जुलाई, 2023 को 289 प्रतिभागियों के लिए 'वित्तीय धोखाधड़ी में नागरिकों के हितों की रक्षा' विषय पर एक दिवसीय वेबिनार भी आयोजित की और उसी विषय पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न तैयार किए।

(ग) बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान पटना ने 13 जुलाई 2023 को ग्यारह संपन्न व्यक्तियों के साथ एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें बाल श्रम, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, साइबर अपराध और बुरी आदत मुद्दे शामिल थे।

****